झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्‌वारा प्रकाशित

संख्या- 2 राँची, बुधवार 28 पौष 1937 (श०) / 18 जनवरी 2017 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	93-110
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्‌वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्‌वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

2 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-08/वि०व्य०(05)-20/2016-223/ACS/सी०,-- दिनांक 1 अक्टूबर, 2016 को हजारीबाग जिलान्तगर्त चिरूडीह, बड़कागाँव में आन्देलनरत स्थानीय निवासी एवं पुलिस के बीच हुए झड़प के फलस्वरूप हुए गोली-चालन की घटना की जाँच हेतु निम्नवत त्रिसदस्यीय समिति गठित की जाती हैः-

1. **अपर मुख्य सचिव**, अध्यक्ष
   गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची ।

2. **सचिव**, अध्यक्ष
   मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची ।

3. **अपर पुलिस महानिदेशक**, अध्यक्ष
   अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची ।

(2) **समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच की जायेगीः-**

i. घटना की पृष्ठभूमि ओवं उन परिस्थितियों का विवरण, जिसके कारण गोली-चालन की घटना हुई ।
ii. क्या गोली-चाली की घटना टाली जा सकती थी ।
iii. घटना के लिए देषी व्यक्ति की पहचान एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण ।
iv. विस्थापितों की समस्या, मांग तथा उसके हल हेतु सुझाव ।
v. अन्य कोई सुझाव ।

(3) समिति अपना जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को उपलब्ध कराऐगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-06/अभि०-22/01/2010-4761--विभागीय अधिसुचना संख्या-3547, दिनांक 22 जुलाई, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न रूप से तीन सदस्यीय प्राधिकार समिति का गठन किया जाता हैः-

1.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि	श्री अबु इमरान, संयुक्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
2.	विधि विभाग के प्रतिनिधि	श्री राज कमल मिश्रा, संयुक्त सचिव सह अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।
3.	अभियोजन निदेशालय के प्रतिनिधि	श्री राजकुमार सिंह, उप-निदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

2. श्री अबु इमरान, संयुक्त सचिव, प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगें ।
3. श्री अबु इमरान की अनुपस्थित में श्री राज कमल मिश्रा, संयुक्त सचिव सह अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची कार्यकारी अध्यक्ष होंगे ।
4. श्री राजकुमार सिंह, उप निदेशक प्राधिकार समिति के सदस्य सचिव होंगे ।
5. विभागीय अधिसूचना संख्या-3946, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 में विहित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

21 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-7/हो०गा०(आरोप)-09-2015-4911-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री **रवि कुमार कुजूर, जिला-समादेष्टा, गिरिडीह** (अतिरिक्त प्रभार, जिला समादेष्टा, कोडरमा) द्वारा अपने कोडरमा के पदस्थापन काल में गृह रक्षकों को ड्यूटी आवटित करने के क्रम में अपने पदीय

दायित्यों का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया है, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-'क' में प्रतिवेदित है, आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः **श्री कुजूर** के विरूद्व प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-16 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तद्नुसार एतद् द्वारा **श्री कुजूर** को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. प्रस्तुत मामले में **श्री कुजूर** के विरूद्घ लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री शेखर कुमार वर्मा, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच०ई०सी०, गोलचक्कर, धूर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. **श्री कुजूर** के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **श्री अविनाश चन्द्र ठाकुर, अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची** को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

7. एतद् द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-3528, दिनांक 21 जुलाई, 2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
22 नवम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014(खण्ड-II)5347-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **बोकारो** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं होता है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **बोकारो** जिला

के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
22 नवम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/NSA-01/02/2014/5348-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **गिरिडीह** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्तया दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (संख्या-65/1980) की धारा 3 की उपधारा(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य के **गिरिडीह** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014(खण्ड-II)-5490-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **गढ़वा** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं होता है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12(02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **गढ़वा** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

नियारन बारला,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/10/05/2014(खण्ड-2)5599-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **साहेबगंज** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्त्यिों की गितविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **साहेबगंज** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

नियारन बारला,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014(खण्ड-II)/5600-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **लातेहार** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तियों की गितविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **लातेहार** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

नियारन बारला,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014(खण्ड-II)/5601-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **पलामू** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गितविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के **पलामू** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

नियारन बारला,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-18/12 आ०सु०(29) 07/2009-5743-- चूँकि राज्य सरकार का विचार है कि झारखण्ड राज्य में **झारखण्ड टाईगर ग्रुप (टाईगर ग्रुप)** की गतिविधि लोक व्यवस्था बनाये रखने में हस्तक्षेप करती है और यह कि वह लोक शांति के लिए घातक है ।

अतः अपराध विधि संशोधन अधिनियम, 1908 (The Criminal Law Amendment Act 1908) (1908 का 14 वाँ अधिनियम) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार **झारखण्ड टाईगर ग्रुप (टाईगर ग्रुप) को उसके गठन की तिथि से अवैध घोषित करती है ।** इस संगठन के सदस्य बनने, उन्हें चन्दा देने तथा उनकी उग्रवादी नीति से संबंधित कोई भी साहित्य या पर्णिका छापने चै रखने को गैर कानूनी घोषित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-12/एम०2-140/2012-5820-- श्री मनीष कुमार भारती, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), लातेहार की दिनांक 24 जनवरी, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हतु विरमित किया जाता है ।

2. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5821-- श्री प्रकाश रंजन मिश्रा**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), खूँटी की दिनांक 19 मई, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हतु विरमित किया जाता है ।

3. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5822-- श्री कन्हैया सिंह**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पलामू की दिनांक 24 मई, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि

विस्तारित करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है ।

4. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5823-- श्री पवन कुमार सिंह**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), गुमला की दिनांक 19 मई, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है ।

5. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5824-- श्री हर्षपाल सिंह**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), राँची की दिनांक 28 मई, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करते हुए दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हतु विरमित किया जाता है ।

6. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5825**-- **श्री कुणाल**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), गिरिडीह की दिनांक 28 मई, 2016 से 17 अक्टूबर, 2016 तक प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करते हुए दिनांक-18 अक्टूबर, 2016 के प्रभाव से पैतृक संगठन में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है ।

7. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5826-- श्री अनुराज राज**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), खूँटी के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

8. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5827-- श्री दीपक कुमार**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), गिरिडीह के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

9. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5828-- श्री रतीन्द्र चन्द्र मिश्रा**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), लातेहार के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

10. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5829-- श्री अरूण कुमार सिंह**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), पलामू के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

11. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5830-- श्री निर्मल गोप**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), सिमडेगा के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

12. **संख्या-12/एम०2-140/2012-5831-- श्री सरोज कुमार**, (उप-समादेष्टा के०रि०पु०ब०), नवप्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), गुमला के पद पर पदास्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/05/2014 (खण्ड-II)5886-- चूँकि झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि **धनबाद** जिला में अपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरूद्ध करने की आवश्यकता है । ऐसे व्यक्तयों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तुत् निरूद्ध करना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है । अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा 12 (02) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयों हेतु झारखण्ड राज्य के **धनबाद** जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्धिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 12(01) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी **तीन माह** तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

31 अक्टूबर, 2016 ई० ।

संख्या-12/से०वि०-4002/2016-6071-- श्री अब्राहम एन०आई०, सेवानिवृत, पुलिस निरीक्षक को पुलिस वायरलेस संपर्ग में कर्मियों/पदाधिकारियों की कमी तथा इनके अनुभव को देखते हुए योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं०-1243/वि०, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के प्रावधानों के तहत योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधर पर नियुक्त किया जाता है ।

2. इस अवधि में इन्हें योजना-सह-वित्त विभागीय संकल्प सं०-1243/वि०, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के अनुरूप मानदेय होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2016 ई० ।

संख्या-12/पी०-02-102/2016/6336/सी०,-- श्री बी०बी० प्रधान, भा०पु०से० (1985), विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रमंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक (अपुनरीक्षित वेतनमान-रू० 75,500-80,000) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

II. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-13/पी०-02-102/2016/6337–सी०-- श्री परवेज हयात, भा०पु०से० (1984), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम-05, (बी०) के अन्तगर्त पुलिस महानिदेशक (अपुनरीक्षित वेतनमान-रू० 75,500-80,000) की कोटि में इनसे कनीय श्री बी०बी० प्रधान, भा०पु०से० (1985) को विभागीय अधिसुचना सं०-6336, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा दी गयी प्रोन्नति को फलस्वरूप दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2016 ई० ।

संख्या-13/पी०-02-102/2016/6338/सी०,-- श्री के०एस० मीणा, भा०पु०से० (1986), प्रबंध निदेशक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिदेशक {अपुनरीक्षित वेतनमान-रू० 75,500-80,000} की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

II. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 नवम्बर 2016 ई० ।

संख्या-13/पी०-02-102/2016/6339/सी०,-- श्री वी०एच० राव देशमुख, भा०पु०से० (1986), सम्प्रति केन्द्रिय प्रतिनियक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियामावली, 1954 को नियम-05 (बी०) के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक (अपुनरीक्षित वेतनमान-रू० 75,500-80,000) की कोटि में इनसे कनीय श्री के०एस० मीणा, भा०पु०से० (1986) को विभागीय अधिसूचना सं०-6338, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा दी गयी प्रोन्नति को फलस्वरूप **दिनांक 22 नवम्बर, 2016** को प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
25 नवम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-13/पी०1-209/2003(खण्ड)-6400/सी०,-- श्री बी०बी० प्रधान, भा०पु०से० (1985), विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची (विभागीय अधिसूचना संख्या-13/पी०2-102/2016-6336, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा पुलिस महानिदेशक की कोटि में प्रोन्नत) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/पी०1-209/2003(खण्ड)-6401/सी०,-- श्री के०एस० मीणा, भा०पु०से० (1985), प्रबंध निदेशक. झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची (विभागीय अधिसूचना संख्या- 13/पी०2-102/2016-6338, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा पुलिस महानिदेशक की कोटि में प्रोन्नत) को अगले आदेश तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-13/पी०1-209/2003(खण्ड)-6402 /सी०,-- श्रीमती तदाशा मिश्रा, भा०पु०से० (1994), पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/पी०1-8004/2013-6456/सी०-- श्री दिनेश पासवान, नव प्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक (अधिसूचना संख्चया-12/पी०5-1047/2014-4949, दिनांक 16 सितम्बर,2016) को अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, कम्पोजिट कन्ट्रोल रूम, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

7 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/एम०2-140/2012-6723-- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं०-5192 एवं 5193, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 की तृतीय पंक्ति में अंकित "सेवा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (अप०) के प्रभाव से" के स्थान पर अवधि दिनांक 19 सितम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक विस्तारित करते हुए दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (अप०) के प्रभाव से पढ़ा जाय ।

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-13/डी०1-101/2016-6767/सी०,-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-I.21017/01/2016-IPS.III, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 के आलोक में **श्री एम०एस० भाटिया**, भा०पु०से० (1993), पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) के पद पर योगदान देने हेतु अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी, 2017

संख्या-2/शक्ति प्रदत्त-03/2017-49 /रा-- श्री वरूण रंजन, भा.प्र.से., अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, लातेहार के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

3 जनवरी, 2017

संख्या-2/राज.स्था.-19/10-*50/रा.*,-- उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक- **2262/**स्था. के आलोक में श्री वरूण रंजन, भा.प्र.से. अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

श्री रंजन के उक्त पद से स्थानान्तरण अथवा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के पद पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार ग्रहण करने, जो भी पहले हो, के उपरांत यह अधिसूचना स्वतः विलोपित समझी जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी, 2017

संख्या-2/शक्ति प्रदत्त-03/2017-51/रा-- श्री दीपक कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** (The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013) की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना
28 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010-6572/रा.,-- श्री देवदास दत्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, मेहरमा को अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रभार से मुक्त करते हुए श्री विजय कुमार, अंचल अधिकारी, पोंडैयाहाट को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013** (The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013) की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 2--50 ।